



12/1/15

UPAU010041472018

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार वर्मा --प्रथम (एच.जे.एस.) यूपी 6552

सत्र परीक्षण संख्या-230/2018

राज्य

बनाम

1. जितेन्द्र सिंह पुत्र साधौ सिंह
  2. साधौ सिंह पुत्र मुंशीलाल
  3. ऊषा देवी पत्नी साधौ सिंह
- निवासीगण ग्राम कुदरकोट थाना बिधूना  
जनपद औरैया

अपराध संख्या-266/2018

धारा-498ए, 304बी, 302 भा0दं0सं0

एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

थाना-बिधूना जिला-औरैया


### निर्णय

1. अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं ऊषा देवी के विरुद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत पुलिस थाना बिधूना जिला औरैया द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और मामला सत्र परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय के सुपुर्द किये जाने पर योजित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अजय कुमार पुत्र प्रयाग नारायण निवासी ग्राम ऐमा पैगम्बरपुर पोस्ट बिरुहूनी थाना अजीतमल जिला औरैया ने थानाध्यक्ष बिधूना को इस आशय की तहरीर दी कि उसने अपनी बहन प्रीति (ज्योति) की शादी दिसम्बर 2016 में जितेन्द्र के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। बहन के ससुरालीजन पति जितेन्द्र, ससुर साधौ सिंह, सास ऊषा देवी, देवर सतेन्द्र और ननद सुमन मिले हुए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा विदा के समय से उसकी बहन से एक कार और दो लाख रुपये की माँग कर रहे थे, जिसको लेकर ससुरालीजन उसकी बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। जिस सम्बन्ध में कई बार रिश्तेदारों के माध्यम से पंचायत भी हुई, लेकिन ससुरालीजन अपनी माँग पर कायम थे। करीब 4 माह पहले उसकी बहन ने एक पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री के जन्म के बाद से ही ससुरालीजन बेटी होने के कारण उसकी बहन को तरह-तरह के ताने उलाहने व मारपीट करते थे। दिनांक 22.06.2018 को उसकी बहन को बुरी तरह से मारपीट कर फाँसी लगाकर उसके पति, सास, ससुर, देवर व ननद ने मिलकर हत्या कर दी तथा अपने जुर्म को छुपाने के उद्देश्य से जिला अस्पताल इटावा में मृत शरीर को

3

तहरीर में झूठा कथन करना बताया है। पी0 डब्लू0-3 के बारे में झूठा कथन करने का कथन किया है। पी0डब्लू0-4 के बारे में पोस्टमार्टम सही न करने का कथन किया है। पी0डब्लू0-5 के बारे में पंचायतनामा की जानकारी न होने का कथन किया है। पी0डब्लू0-6 के बारे में निष्पक्ष विवेचना न करके झूठा आरोपपत्र प्रस्तुत करने का कथन किया है। पी0डब्लू0-7 के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट एण्टीटाइम दर्ज करने का कथन किया है। अभियुक्त जितेन्द्र ने अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसकी पत्नी ज्योति पर उसके साले आनन्द की पत्नी प्रियंका ने चूड़ी की चोरी का आरोप लगाया था। यह आरोप घटना से 20-25 दिन पहले लगाया था। यह घटना ससुराल में हुई थी। उसकी पत्नी तब वहीं थी। उसकी पत्नी ने उसे फोन कर बताया तो वह अपनी पत्नी को मायके से अपने घर ले आया। आने के 6 दिन बाद उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। अभियुक्त साधौ सिंह ने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि वह 2013 से अमृतसर में पॉपकॉन लगाकर बेचता है। घटना के दिन वह अपनी बहन की ससुराल नगला पीर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा में शादी में गया था। शादी उसके भांजे दशरथ की थी। उसके साथ उसकी पत्नी ऊषा देवी भी थी। अकेले जितेन्द्र ही घर पर था। छोटा बेटा सतेन्द्र दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। अभियुक्ता ऊषा देवी ने बयान अंतर्गत 313 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि 2013 से वह अपने पति साधौ सिंह के साथ अमृतसर में रह रही थी। दिनांक 20.6.2018 से 22.06.2018 तक वह अपने पति साधौ सिंह के साथ अपनी ननद सहदेवी के पुत्र दशरथ की शादी में नगला पीर थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा में गयी थी। घटना के दिन वह तथा उसके पति अपने घर पर नहीं थे। बेटा तथा बहू दोनों घर पर अकेले थे।



9. अभियुक्तागण ने सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू0-1 दशरथ सिंह को प्रस्तुत किया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 83ख से दशरथ की शादी का कार्ड कागज संख्या 84ख तथा प्रार्थनापत्र 109ख के साथ कागज संख्या 110ख आनन्द कुमार की शादी का कार्ड दाखिल किया है तथा दशरथ द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिनांक 20.07.2018 को शपथपत्र कागज संख्या 78ख दाखिल किया, जिसे सफाई साक्षी दशरथ ने प्रदर्श ख-1 के रूप में साबित किया है। दशरथ सिंह के शादी कार्ड की छाया प्रति कागज सं0 80ख/1 व 80ख/2 प्रस्तुत किया गया है।

10. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अभिषेक मिश्रा एवं अभियुक्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार अवस्थी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11. पी0डब्लू0-1 प्रयाग नारायण ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका ज्योति उसकी पुत्री थी। उसकी शादी उसने दिनांक 12.12.2016 को हाजिर अदालत मुल्जिम जितेन्द्र के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद जब उसकी पुत्री विदा होकर उसके घर आयी तो उसने बताया कि उसके पति जितेन्द्र, ससुर साधौसिंह, सास ऊषा देवी, देवर सतेन्द्र, ननद सुमन अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपया और एक कार की माँग करते हैं और मारपीटकर प्रताड़ित करते हैं। फिर वह अपनी पुत्री की

३

कि अब वह परेशान नहीं करेगा, न कुछ मांगेगा, भेज दो, तब उसने व परिवार वालों ने बहन को जितेन्द्र के साथ भेज दिया था। दिनांक 22.06.2018 को उसे फोन से सूचना दी गयी कि तुम्हारी बहन जिला अस्पताल इटावा में मर चुकी है। सूचना पाकर वह अपने परिवार के लोगों के साथ जिला अस्पताल इटावा पहुँचा तो वहाँ उसकी बहन मृत अवस्था में थी। उसके शरीर में उसने चोटें देखी थी। उसके पहुँचने के 15-20 मिनट बाद पुलिस आयी थी। पुलिस ने उसकी बहन के शव का पंचायतनामा भरा था। उसने पुलिस से कहा कि रिपोर्ट करनी है तो पुलिस ने कहा कि पहले पंचायतनामा भर जाने दो, तुम रिपोर्ट अपने जनपद औरैया में जाकर करना। पंचायतनामा भरने के बाद बहन को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर उसकी बहन का दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ और उसको बहन की लाश मिली, बहन की लाश को उसकी ससुराल कुदरकोट ले गये, वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया। फिर वह दिनांक 23.06.2018 को एक तहरीर लिखकर थाने गया, वहाँ रिपोर्ट लिखाई। इस साक्षी को पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज संख्या 4क/4 को पढ़कर सुनाया व दिखाया गया तो इस साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो लिखकर दी थी और उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता है जिस पर प्रदर्शक-2 डाला गया। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

13. पी0डब्लू0-3 आनन्द किशोर ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका प्रीती उर्फ ज्योति उसकी छोटी बहन थी। उसने व उसके पिता ने उसकी शादी दिसम्बर 2016 में जितेन्द्र के साथ सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर हिन्दू रीति रिवाज से की थी। शादी में बहन विदा होकर ससुराल गयी थी और शादी के बाद विदा होकर घर पर आयी थी और उसने बताया था कि उसके पति जितेन्द्र सिंह, ससुर साधौ सिंह, सास ऊषा देवी, ननद सुमन और देवर सतेन्द्र उसकी बहन से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व कार की माँग करते हैं। वह बी0एस0एफ0 में नौकरी करता है। उसकी बहन फोन से बताती रहती थी और जब वह छुट्टी से आया तो बहन प्रीती की ससुरालीजन सास, ससुर, देवर व ननद सुमन ने उससे भी अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व चार पहिया कार माँगी थी तो उसने उसकी ससुराल वालों को समझाया था कि पैसे की व्यवस्था हो जाने पर माँग पूरी कर देंगे। उसको ठीक से रखे। दिनांक 22.06.2018 को उसे फोन से सूचना मिली कि उसकी बहन प्रीती को उसके उपरोक्त ससुरालीजन ने मार डाला है। वह दिनांक 23 को आ गया था। उसने बहन की लाश को देखा था। उसकी बहन प्रीती उर्फ ज्योति को उसके उपरोक्त ससुरालीजन परेशान करते थे व दहेज की माँग करते थे। इसलिए उसका भाई अजय व बहन को अपने लिवे लाया था। घटना से सात दिन पहले उसकी बहन को उसका पति जितेन्द्र घर से लिवे ले गया था। उसकी बहन को उसके उपरोक्त ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज में रूपया व कार न मिल पाने के कारण उसको मार डाला है। उसकी बहन के मरने के दो दिन पहले उसकी फोन से बात हुई थी तो बताया था कि भैया उसके पति, सास, ससुर परेशान व प्रताड़ित करते हैं और बराबर दहेज में दो लाख रुपये व कार माँग रहे हैं तो उसने उसको समझा दिया था कि जब वह छुट्टी से

से पंचान नियुक्त करके शव की दशा, हुलिया, कपड़े, सम्पत्ति व चोटे देखी। मौके पर उपनिरीक्षक संजय सिंह से बोल-बोल कर पंचायतनामा भरवाया था। पंचान की राय लेकर अपनी राय प्रकट करके शव को सर्व सील मुहर कराकर शव विच्छेदन हेतु कां० शैलेन्द्र कुमार व महिला कां० मंजू को सुपुर्द कर दिया था। यह पंचायतनामा कागज सं० 12क/1 लगायत 12क/3 के रूप में संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क-1 पहले से डाला जा चुका है। पंचायतनामा भरते समय उसके द्वारा प्रपत्र चालान शव दो प्रतियों में चिट्ठी सी०एम०ओ०, चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक व फोटो लाश मौके पर ही तैयार कराये गये थे। यह प्रपत्र क्रमशः कागज सं० 13क/3 लगायत 13क/7 के रूप में संलग्न है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-4, प्रदर्श क-5, प्रदर्श क-6 एवं प्रदर्श क-7 डाले गये। इस प्रकार इस साक्षी पंचायतनामा एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्रों को साबित किया है।

16. पी०डब्लू०-6 भास्कर वर्मा, क्षेत्राधिकारी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2018 को वह जनपद औरैया में क्षेत्राधिकारी बिधूना के पद पर तैनात था। उस दिन थाना कोतवाली बिधूना में मु०अ०सं० 266/2018 धारा 498ए,304बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम जितेन्द्र सिंह, साधौसिंह, ऊषा देवी, सतेन्द्र व सुमन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने पर इस अभियोजन की विवेचना उसे प्राप्त होने पर उसने विवेचना ग्रहण कर केस डायरी के पर्चा नं० 1 में नकल चिक, नकल रपट का हवाला अंकित किया। वादी मुकदमा अजय कुमार के बयान अंकित किये व वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया, जो पत्रावली में कागज संख्या 15क है। उस पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह नक्शानजरी उसने वादी की निशानदेही पर तैयार किया था जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया। इसके पश्चात गवाहान के बयान लिये तथा अभियोग से सम्बन्धित प्रपत्रों का केस डायरी में उल्लेख किया और अभियुक्त सतेन्द्र एवं श्रीमती सुमन की नामजदगी गलत पाई गयी। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं श्रीमती ऊषा देवी के विरुद्ध जुर्म धारा 498ए,304बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का साबित होने पर आरोपपत्र संख्या 271/2018 दिनांक 30.07.2018 को प्रस्तुत किया, जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या 3क/1 लगायत 3क/8 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी वह शिनाखा करता है, जिस पर प्रदर्श क-9 डाला गया। इस प्रकार इस साक्षी ने नक्शानजरी एवं आरोपपत्र को साबित किया है।

17. पी०डब्लू०-7 महिला कां० संगीता ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2018 को वह थाना बिधूना जनपद औरैया में कांस्टेबिल क्लर्क के पद पर तैनात थी। उस दिनांक 18.34 बजे शाम को वादी मुकदमा अजय कुमार द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर उसने थाना बिधूना में मु०अ०सं० 266/2018 धारा 498ए,304बी भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम जितेन्द्र सिंह आदि की प्रथम सूचना रिपोर्ट कम्प्यूटर पर तैनात कां० अनुज यादव से बोल-बोलकर कम्प्यूटर पर किता करवाई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न

दिनांक 22.06.2018 को उसे मोबाइल से सूचना मिली कि उसकी पुत्री ज्योति को उसके उपरोक्त ससुरालीजनों ने गला दबाकर मार डाला। तब वे लोग सूचना पाकर जिला सरकारी अस्पताल इटावा पहुँचे, वहाँ उसकी पुत्री अस्पताल में मरी हुई मिली थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 22.06.2018 से पहले उसकी बहू और लड़के के बीच जेवर को लेकर काफी कहा सुनी हुई हो और प्रीती जब उसके घर पर मौजूद हो, तब उसकी बहू गायत्री व प्रीती में कहासुनी हो गयी हो। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसकी बहू ने लड़की से अपशब्द बोले हो और इसी से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली हो। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ-3 पर कथन किया है कि शादी के बाद से उसकी पुत्री ससुराल से दो-तीन दिन बाद आयी थी। वह कुदरकोट अपनी पुत्री की ससुराल कई बार गया। दहेज के सम्बन्ध में समझाया बुझाया, पंचायत की थी, लेकिन शिकायत नहीं की। घटना से दो माह पहले वह व उसकी पत्नी, बिटिया की ससुराल पंचायत करने गये थे। उन लोगों के अलावा उसके बहनोई रामसेवक पंचायत में गये थे। पी0डब्लू0-2 अजय ने साक्ष्य में कहा है कि उसकी बहन मृतका प्रीती उर्फ ज्योति की शादी 12.12.2016 को जितेन्द्र के साथ हुई थी। शादी में बहन विदा होकर अपनी ससुराल कुदरकोट गयी थी और जब वह अपनी बहन को विदा कराने उसकी ससुराल गया था तो उसने बताया था कि उसके पति जितेन्द्र, ससुर साधौ सिंह, सास ऊषा देवी, परेशान करते हैं। फिर वह अपनी बहन को विदा कराकर अपने घर ले आया, तब उसकी बहन ने उसे व उसके घर वालों को यह बात बताई थी कि उसके उपरोक्त ससुरालीजन मारपीट कर प्रताड़ित करते हैं और अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व कार की माँग करते हैं। इसके बाद वह व उसके पिताजी व रिश्तेदार बहन की ससुराल उपरोक्त ससुरालीजनों को समझाने गये तो यह लोग नहीं माने और दो लाख रुपये व कार की माँग करते रहे। कुछ समय बाद उसके बहन के एक पुत्री हुई थी और उसके ससुरालीजन ताने मारते रहे। घटना के करीब डेढ़ महीने पहले अपनी बहन प्रीती उर्फ ज्योति को विदा करा कर घर ले आये थे, क्योंकि उसकी बहन ने फोन करके बताया था कि उपरोक्त ससुरालीजन उसे तंग व परेशान करते हैं। उसकी बहन जब उसके यहाँ रह रही थी तो लगभग सवा महीने बाद पति जितेन्द्र सिंह बहन को लिवाने आया था तो उसकी बहन जाने को तैयार नहीं थी और कह रही थी कि पति व उसके घर वालों को कार व दो लाख रुपये दे दो, तब उसे भेजो। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ-4 पर कहा है कि उसकी भाभी गायत्री व उसके भाई आनन्द के बीच जेवर के सम्बन्ध में कोई टकराहट नहीं थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसकी भाभी गायत्री ने उसकी बहन ज्योति पर जेवर चोरी का आरोप लगाया हो। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उसकी बहन को उसके ससुरालीजन ने दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित न किया हो। पी0डब्लू0-3 आनन्द किशोर ने साक्ष्य में कहा है कि मृतका प्रीती उर्फ ज्योति उसकी छोटी बहन थी। उसने व उसके पिता ने उसकी शादी दिसम्बर 2016 में जितेन्द्र के साथ की थी। शादी में बहन विदा होकर ससुराल गयी थी और शादी के बाद विदा होकर घर पर



कड़ी और चमकदार हो जाती है तथा शव में लम्बा एलोनोशन(alongation) हो जाता है। मृतका के अन्तः परीक्षण में जो लक्षण पाये गये हैं, वह निश्चित रूप से यह साबित करते हैं कि मृतका की गला घोटकर हत्या की गयी है। चिकित्सक पी0डब्लू0-4 ने साक्ष्य में यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का गला रस्सी का फन्दा डालकर प्रेसर से दबाया जाये तो इस तरह की चोट आना सम्भव है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह ने मृतका की रस्सी से गला दबा कर हत्या कारित की गयी है।

24. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त साधौ सिंह एवं ऊषा देवी घटना के दिनांक 22.06.20218 से पहले दिनांक 20.06.2022 अपने भांजे दशरथ सिंह की शादी में ग्राम सैदपुर नगला पीर जी थाना सिविल लाइन, इटावा गये हुए थे। घटना के दिनांक को उक्त दोनों अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद नहीं थे। उक्त दोनों अभियुक्तगण वर्ष 2013 से अमृतसर में अपने काम करने के सम्बन्ध में रहते रहे हैं। इसलिए उक्त दोनों अभियुक्तगण द्वारा मृतका को घटना के ठीक पूर्व तक मृतका को दहेज की मॉग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना सम्भव नहीं है। अतः अभियुक्तगण साधौसिंह एवं ऊषा देवी दोषमुक्त होने योग्य है।

25. उक्त तर्क के खण्डन में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी अपने भांजे के तिलकोत्सव कार्यक्रम दिनांक 20.6.2018 को था तथा शादी दिनांक 22.06.2018 को थी और उक्त अभियुक्तगण तिलकोत्सव कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपने घर कुदरकोट आ गये थे। इस प्रकार अभियुक्तगण घटना में शामिल रहे हैं। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य है।

26. उक्त तर्क के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। पी0डब्लू0-1 ने जिरह के पृष्ठ 2 पर कहा है कि साधौ सिंह बाहर रहते हैं, यह पता नहीं क्या करते हैं। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ 3 पर इस सुझाव को गलत बताया कि दिनांक 22.6.2018 को साधौ सिंह व उसकी पत्नी शादी में शामिल होने गये हो। बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में डी0डब्लू0-1 दशरथ सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने कथन किया है कि उसके पिता की मृत्यु 28 वर्ष पहले हो गयी थी। उसका मामाना कुदरकोट में है। उसके मामा साधौ सिंह ने उसकी शादी तय करवाई थी। शादी दिनांक 22.06.2018 की थी और लगुन दिनांक 20.06.2018 की थी। उसमें देखभाल के लिए उसके मामा साधौ सिंह व मामी ऊषा देवी आई थी और लगुन कार्यक्रम के बाद शादी तक दोनों लोग रुके थे। जब दिनांक 23.06.2018 को सुबह पता चला कि उसके मामा की बहू अर्थात जितेन्द्र की पत्नी ने फॉसी लगा ली है तब मामा और मामी जिला अस्पताल इटावा पहुँचे। अजय कुमार जो प्रीती उर्फ ज्योति के भाई हैं, ने साधौ सिंह, ऊषा देवी के विरुद्ध मुकदमा लिखा दिया था, जबकि घटना के दो दिन पहले से साधौ सिंह व ऊषा देवी उसके यहाँ थे। उसने अपना शपथपत्र पुलिस अधीक्षक औरैया को डाक द्वारा भिजवाया था। यह शपथ पत्र कचहरी इटावा में बनवाया था। इस साक्षी ने पत्रावली में संलग्न



तथा अपने भांजे दशरथ सिंह की शादी कार्यक्रम में आये हुए थे। केवल अभियुक्त जितेन्द्र सिंह घर पर अकेला था।

28. कंसराज बनाम पंजाब राज्य एआईआर 2000 सु0को0 2324 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के सम्बन्ध में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि ससुरालीजनों को सिर्फ इस आधार पर नहीं संलिप्त किया जाना चाहिए कि वह पति के नजदीकी रिश्तेदार हैं। उनके द्वारा क्या-क्या कार्य किया गया। इसको युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में बचाव पक्ष ने यह साबित किया है कि अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी घटना के दिनांक को मौके पर नहीं थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी आदि के नाम लिखाये गये हैं और उनके नाम अपने बयान में भी लिये हैं। उक्त दोनों अभियुक्तगण वर्ष 2013 से अमृतसर में काम के सम्बन्ध में रहते हैं और शादी आदि समारोह में अपने गाँव आते हैं। उक्त नजीर से यही निष्कर्ष निकलता है कि तथ्य के साक्षियों ने अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के सम्बन्धी होने के कारण उनके नाम लिये हैं। इस प्रकार अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता यह तर्क कि साधौ सिंह एवं ऊषा देवी घटना के समय अपने घर पर उपस्थित नहीं थी, न्यायसंगत एवं विश्वसनीय है। अतः अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।



29. उपरोक्त तथ्य के साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतका प्रीती का विवाह अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के साथ दिनांक 12.12.2016 में हुआ था तथा प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 20.06.2018 की है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु शादी से 7 वर्ष के अन्दर हुई है। अभियोजन पक्ष के द्वारा यह भी साबित किया गया है कि मृतका की हत्या दहेज की माँग को लेकर उसकी ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में गला दबा कर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह द्वारा की गयी है, जैसा कि ऊपर निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह घटना के समय घर पर मौजूद था और उसी के द्वारा अपनी पत्नी मृतका प्रीती की गला दबा कर दहेज हत्या कारित की गयी है और मृतका की गला दबा कर हत्या करने के तथ्य की पुष्टि चिकित्सक पी0डब्लू0-4 के बयान से होती है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी के अन्तर्गत यह अवधारणा की जायेगी कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के द्वारा मृतका की दहेज हत्या कारित की गयी है। अतः अभियुक्त जितेन्द्र सिंह धारा 498ए, 304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

30. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का भी आरोप सृजित किया गया है। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि मृतका की हत्या दहेज की माँग लेकर की गयी है। इसलिए धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप साबित नहीं होता है। अतः सभी अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं ऊषा देवी अंतर्गत धारा 302 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

महेन्द्र सिंह आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)7 एससीसी 157 एवं लालू

अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आरोप साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी की अपराध में संलिप्तता न पाये जाने के कारण उनको धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा0दं0सं0 का आरोप भी सृजित किया गया है। चूँकि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दहेज की माँग को लेकर मृतका की हत्या कारित किया जाना साबित पाया गया है। इसलिए धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत तीनों अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं ऊषा देवी दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह जमानत पर है, उसके जमानतनामों व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को सजा के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक-15.11.2022

(अनिल कुमार वर्मा-प्रथम)  
सत्र न्यायाधीश,  
औरैया

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि उसकी कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त निर्धन एवं नवयुवक व्यक्ति है और उसकी नाबालिग पुत्री है। उसके वृद्ध माता-पिता हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। उसके प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह द्वारा दहेज में दो लाख रुपये व कार न दिये जाने के कारण मृतका की गला दबा कर हत्या की गयी है। इसलिए अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये।

मैंने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त दिनांक 14.07.2018 से 04.06.2022 तक जेल में निरुद्ध रहा है तथा वह नवयुवक है और उसकी नाबालिग पुत्री है एवं वृद्ध माता-पिता हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। **करनैल सिंह बनाम राज्य 2006 सीआर.एल.जे 1312 (राज.)** की विधि व्यवस्था के प्रकाश में एवं उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसको कठोर कारावास से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

### आदेश

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी को धारा 498ए,304बी,302 भा0दं0सं0 तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषमुक्त किया जाता

३



है।

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 498ए भा0दं0सं0 के तहत अभियुक्त को दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को धारा 304बी भा0दं0सं0 के तहत आठ वर्ष का कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं पाँच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतेगा।

अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्त को धारा 428 दं0प्र0सं0 के अनुसार उसके द्वारा इस मामले में पूर्व में कारागार में बिताई गई अवधि को उपरोक्त सजा से समायोजित किया जायेगा।


अर्थदण्ड जमा होने पर अर्थदण्ड की आधी धनराशि उसकी पुत्री के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा में दिया जायेगा।

अभियुक्त का सजायाबी वारंट बनाकर जिला कारागार, इटावा/औरैया भेजा जाये।

साधौ सिंह एवं ऊषा देवी जमानत पर हैं। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतियों के जमानतनामों निरस्त किये जाते हैं तथा उन्हें दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।


साधौ सिंह एवं ऊषा देवी द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता का अनुपालन चार दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करें। उनके विरुद्ध यदि इस निर्णय की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय से नोटिस जारी होती है, तो वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल बंधपत्र एवं जमानतनामों 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।



  
(अनिल कुमार वर्मा-प्रथम)  
सत्र न्यायाधीश,  
औरैया

इस निर्णय एवं आदेश को आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनांक- 15.11.2022

  
(अनिल कुमार वर्मा-प्रथम)  
सत्र न्यायाधीश,  
औरैया

सत्य प्रतिलिपि  
प्राप्त की  
दिनांक 15.11.2022

सत्य प्रतिलिपि

केन्द्रीय परिसंवेदन विभाग  
जनपद न्यायालय-औरैया

15/11/22  
4-4-2023

मांजी बनाम स्टेट आफ झारखण्ड ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 854 में प्रतिपादित सिद्धान्त में कहा है कि साक्षियों की तीन श्रेणियां होती हैं। पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय तथा अंशतः विश्वसनीय व अंशतः अविश्वसनीय होती हैं। उक्त विधि व्यवस्था के आलोक में पी0डब्लू0-1 लगायत पी0डब्लू0-3 का साक्ष्य से अभियुक्त जितेन्द्र सिंह द्वारा मृतका से दहेज मांगने, दहेज की मांग को लेकर मृतका को प्रताड़ित करने और उसकी दहेज हत्या कारित करने के सम्बन्ध में साबित होती है। इस प्रकार पी0डब्लू0-1 लगायत पी0डब्लू0-3 का साक्ष्य अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में पूर्णतः विश्वसनीय की श्रेणी में होने के कारण उनके साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जितेन्द्र सिंह को दोषसिद्ध किया जा सकता है।

31. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मृतका प्रीती उर्फ ज्योति का विवाह अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के साथ दिनांक 12.12.2016 को हुआ था। मृतका से दहेज में अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व कार की मांग की गयी और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और शादी के 7 वर्ष के अन्दर ही दिनांक 22.06.2018 को अभियुक्त जितेन्द्र सिंह ने मृतका की गला दबाकर दहेज हत्या कारित कर दी। जिसकी पुष्टि चिकित्सक पी0डब्लू0-4 द्वारा की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त जितेन्द्र सिंह धारा 498ए,304बी भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है। जहाँ तक अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी के घटना में शामिल होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उन्होंने धारा 313 दं0प्र0सं0 में कथन किया है वह घटना के दो दिन पहले दिनांक 20.06.2018 को अपने भांजे दशरथ सिंह की शादी में ग्राम नगला पीर जनपद इटावा में गये थे और दिनांक 20.6.2018 से 22.6.2018 को वहीं रहे। जिसकी पुष्टि डी0डब्लू0-1 दशरथ सिंह के साक्ष्य से होती है। डी0डब्लू0-1 दशरथ सिंह ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी दिनांक 20.6.2018 से 22.06.2018 के मध्य उसकी शादी में शामिल होने आये थे। घटना के दिनांक 22.06.2018 को अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी उसके घर पर थे। इस सम्बन्ध में डी0डब्लू0-1 ने दौरान विवेचक पुलिस अधीक्षक औरैया को शपथपत्र डाक द्वारा भेजा था। जिसको इस साक्षी ने प्रदर्श ख-1 के रूप में साबित किया है। डी0डब्लू0-1 ने अपनी शादी के सम्बन्ध में शादी का कार्ड कागज संख्या 84ख दाखिल किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी को घटना में संलिप्तता होना नहीं पाया गया और उनके द्वारा मृतका को दहेज के लिए मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाना साबित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी वर्ष 2013 से अमृतसर में काम के सम्बन्ध में अमृतसर में रहते हैं और रिश्तेदार या घर में शादी आदि कार्यक्रम होने पर ही वहाँ से आते हैं। इस प्रकार

शपथपत्र कागज संख्या 78ख/1 को प्रदर्श ख-1 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने यह शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक औरैया को विवेचना के दौरान दिनांक 20.07.2018 को भेजा है। इस साक्षी ने जिरह में कहा है कि वह दिनांक 22.06.2018 को अपनी बारात लेकर अपने गाँव से 8-8.30 बजे रात्रि को निकल गया था। बारात में रिश्तेदारों मामा साधौ सिंह व अन्य रिश्तेदार गये थे। मामा का घर उसके घर से 55-60 कि०मी० दूर है। उसके मामा के पास मोबाइल रहता है। उसे दिनांक 23.06.2018 को पता चला था कि मामा व मामी के खिलाफ एफ.आई. आर. हो गयी थी। उसे उसकी बारात दिनांक 22.06.2018 को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि तिलकोत्सव के बाद उसके मामा, मामी अपने घर चले गये हो। वह उनका सगा भांजा होने के कारण दिनांक 20.06.2018 से 22.06.2018 तक उसके घर पर उनके रुकने वाली बात झूठ कह रहा है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के दिनांक को साधौ सिंह एवं ऊषा देवी अपने भांजे के लगुन कार्यक्रम एवं शादी कार्यक्रम में दिनांक 20.06.2020 से 22.6.2020 तक शामिल रहे है और तिलकोत्सव कार्यक्रम के बाद अभियुक्तगण साधौसिंह व ऊषा देवी अपने घर ग्राम कुदरकोट लौट कर नहीं आये। इस साक्षी ने पत्रावली में शादी का कार्ड कागज संख्या 84ख दाखिल किया है। उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटना के दिनांक को अभियुक्तगण साधौ सिंह एवं ऊषा देवी अपने घर ग्राम कुदरकोट में उपस्थित नहीं थे। इसलिए उक्त अभियुक्तगण मृतका को मृत्यु से ठीक पूर्व दहेज की माँग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया और न ही उसकी गला दबाकर हत्या की गयी।

उक्त साक्षी की साक्ष्य उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि अभियोजन साक्षियों की होती है।  
**हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह एआईआर 2002 एससी 620 पैरा 19** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि बचाव पक्ष की साक्ष्य अभियोजन पक्ष के समान ही पढ़ी जायेगी।

27. अभियुक्त साधौ सिंह ने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि वह 2013 से अमृतसर में पॉपकार्न लगाकर बेचता है। घटना के दिन वह अपनी बहन की ससुराल नगला पीर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा में शादी में गया था। शादी उसके भांजे दशरथ की थी। उसके साथ उसकी पत्नी ऊषा देवी भी थी। अकेले जितेन्द्र ही घर पर था। छोटा बेटा सतेन्द्र दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। अभियुक्ता ऊषा देवी ने बयान अंतर्गत 313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि 2013 से वह अपने पति साधौ सिंह के साथ अमृतसर में रह रही थी। दिनांक 20.6.2018 से 22.06.2018 तक वह अपने पति साधौ सिंह के साथ अपनी ननद सहदेवी के पुत्र दशरथ की शादी में नगला पीर थाना सिविल लाइन, जनपद इटावा में गयी थी। घटना के दिन वह तथा उसके पति अपने घर पर नहीं थे। बेटा तथा बहू दोनों घर पर अकेले थे। अभियुक्तगण के उपरोक्त कथन की पुष्टि डी०डब्लू०-1 से होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण साधौ सिंह व ऊषा देवी वर्ष 2013 से अमृतसर में अपने काम के सम्बन्ध में रहते है

आयी थी और उसने बताया था कि उसके पति जितेन्द्र सिंह, ससुर साधौ सिंह, सास ऊषा देवी, उसकी बहन से अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व कार की माँग करते हैं। वह बी०एस०एफ० में नौकरी करता है। उसकी बहन फोन से बताती रहती थी और जब वह छुट्टी से आया तो बहन प्रीती के ससुरालीजन ने उससे भी अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये व चार पहिया कार माँगी थी तो उसने उसकी ससुराल वालो को समझाया था। इस साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि उसकी पत्नी गायत्री व उसकी बहन प्रीती के बीच चोरी का इल्जाम लगाने के सम्बन्ध में कहासुनी हुई हो। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उसकी बहन से उसकी पत्नी गायत्री से फोन पर बातचीत की हो और अपशब्दों का प्रयोग किया हो और उससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या की हो।

21. उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृतका प्रीती विवाह अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के साथ दिनांक 12.12.2016 में हुआ था तथा प्रस्तुत मामले की घटना दिनांक 22.06.2018 की है। इस प्रकार मृतका की मृत्यु शादी से 7 वर्ष के अन्दर हुई है। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह के पिता साधौ सिंह एवं माँ ऊषा देवी ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० के बताया कि घटना वाले दिन अभियुक्त जितेन्द्र सिंह एवं उसकी पत्नी प्रीती घर पर थे। वे लोग अपने भांजे दशरथ सिंह की शादी में गये हुए थे। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के द्वारा यह भी साबित किया गया है कि अभियुक्त जितेन्द्र सिंह द्वारा मृतका से उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व तक उससे दहेज में दो लाख रुपये एवं कार की माँग की गयी और उक्त दहेज की माँग को लेकर मृतका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और मृतका की हत्या दहेज की माँग को लेकर उसकी ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में गला दबा कर दी। नक्शानजरी प्रदर्शक-8 से स्पष्ट होता है कि मृतका की हत्या बेडरूप में "एक्स" स्थान पर की गयी है। बचाव पक्ष यह तथ्य साबित करने में असफल रहा है कि मृतका पर उसकी भाभी प्रियंका द्वारा जेवर चोरी का आरोप लगाया हो और मृतका की भाभी ने मृतका को फोन से अपशब्दों का प्रयोग किया हो, जिससे क्षुब्ध होकर मृतका ने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली हो।

22. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मृतका ने स्वयं फाँसी लगाकर आत्महत्या की है और उसकी मृत्यु हैंगिंग से हुई है।

23. मेडिकल जेरिसप्रुडेन्स के सैतीसवां संस्करण रिप्रिण्ट 2011 पेज 583 पर स्ट्रांगुलेशन एवं हैंगिंग के अन्तर वर्णित करते हुए कहा है कि स्ट्रांगुलेशन के मामले में एक्टर्नल मार्क एसफीसिया पूर्णतः दृश्य होता है तथा हायड बोन का भंग ज्यादातर मामलों में प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त गले पर दबाव वाले स्थल पर इकाईमोसिस उत्पन्न हो जाती है। चिकित्सक पी०डब्लू०-4 ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शक-3 में प्रेक्षण किया है कि मृतका की दाहिनी तरफ की हायड बोन भंग थी। कन्जक्टाइवा तथा चेहरा रक्त संकुलित था। लिगेचर मार्क गले के चारों ओर क्षैतिज रूप में पाया गया। जबकि हैंगिंग के मामले में लिगेचर के नीचे की त्वचा शुष्क व

पत्रावली कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/3 है, जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं व वादी मुकदमा अजय कुमार के हस्ताक्षर हैं। यही प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने कां० अनुज यादव से बोल-बोल कर किता करायी थी। इस पर प्रदर्श क-10 डाला गया। उसने मुकदमा कायमी का हवाला थाने की जी०डी० में कम्प्यूटर पर कां० अनुज यादव से करवाया था जो संलग्न पत्रावली कागज सं० 6क/1 है जिस पर प्रदर्श क-11 डाला गया। मुकदमा कायमी की सूचना जरिए आर०टी० सेट कंट्रोल रूम को दी गयी थी। एफ.आई.आर. की एक प्रति वादी को देकर दस्तखत कराया गया था। नकल चिक व नकल रपट वास्ते विवेचना क्षेत्राधिकारी महोदय बिधूना को भिजवाई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने नकल जी०डी० कायमी मुकदमा एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट को साबित किया है।

18. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज में 2 लाख रुपये एवं कार की मांग नहीं की गयी और दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया और न ही उसकी गला दबाकर हत्या कारित की गयी। मृतका ज्योति जब मायके गयी थी तो उसकी भाभी प्रियंका ने मृतका ज्योति पर चूड़ी की चोरी का आरोप घटना से 20-25 दिन पहले लगाया था, तब मृतका प्रीती उर्फ ज्योति ने अभियुक्त जितेन्द्र को बुलाया था कि उसे मायके से घर ले जाये। तब अभियुक्त जितेन्द्र अपनी पत्नी मृतका ज्योति को अपने घर ले आया। मृतका ज्योति जेवर चोरी के आरोप से क्षुब्ध थी और इसीलिए उसने मायके से आने के 6 दिन बाद उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

19. उक्त तर्क के खण्डन में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज में 2 लाख रुपये एवं कार की मांग की गयी और दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसकी रस्सी से गला दबाकर दहेज हत्या कारित कर दी। अभियुक्तगण की ओर से कहा गया कि मृतका जब मायके में भी तब, मृतका पर उसकी भाभी प्रियंका ने जेवर चोरी आरोप लगाया था, जिससे वह परेशान थी, इसीलिए मृतका ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली, किन्तु इस तथ्य को साक्षियों ने स्वीकार नहीं किया है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य है।

20. उक्त तर्क के खण्डन में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०-1 ने साक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री शादी दिनांक 12.12.2016 को मुल्जिम जितेन्द्र के साथ की थी। शादी के बाद जब उसकी पुत्री विदा होकर उसके घर आयी तो उसने बताया कि उसके पति जितेन्द्र, ससुर साधौसिंह व सास ऊषा देवी अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपया और एक कार की मांग करते हैं और मारपीटकर प्रताड़ित करते हैं। जब वह अपनी पुत्री की ससुराल गया और उपरोक्त ससुरालीजनों को समझाया-बुझाया, परन्तु यह लोग नहीं माने।

३

आयेगा, तब मिलेगा।

14. पी0डब्लू0-4 डा0 सैफ खान ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.06.2018 को मेडिकल आफिसर सी.एच.सी. भर्थना के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसकी ड्यूटी शव विच्छेदन गृह इटावा में भी थी। उस दिन सिविल लाइन इटावा से थाने के कां0 शैलेन्द्र कुमार व महिला कां0 मंजू द्वारा मृतका प्रीती के शव को शव विच्छेदन हेतु लाया गया था। उसके द्वारा उसी दिन समय 11.35 से 12.10 पी0एम0 तक शव विच्छेदन किय गया था। मृतका की लम्बाई 160 से.मी. मध्यम सामान्य कद काठी की थी। मृतका के ऊपरी हिस्से में अकड़न जा चुकी थी और निचले हिस्से में थी और पी.एम. स्टेनिंग डिपेन्डेण्ट पार्ट पर थी। पेट फूला हुआ था। उस पर ही रंग के धब्बे थे। आँख की कन्जक्टाइवा कन्जस्टिड थी। चेहरा कन्जस्टिड था। मृतका के शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोट पाई गयी:-

1. एक लिगेचर मार्क, जिसका आकार 12 से.मी. X0.5 से.मी गर्दन के समानान्तर, जिसका बेस आफ ग्रूव सोफ्ट और लाल था और त्वचा की खाल नीचे के ऊतक लाल रंग के थे।

2. एक खरोंचदार चोट जिसका आकार 14X 1.5 से.मी. था, यह चोट गले के ऊपरी हिस्सा में थी।

आंतरिक परीक्षण:- मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियां कन्जस्टिड थी और हाइड्र बोन दाहिनी तरफ टूटी हुई पाई गयी। ट्रेकिया, फेफड़े, यकृत, तिल्ली और गुर्दे कन्जस्टिड थे। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। मृतका के पेट में 50 एम.एल. तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन व गैस मौजूद थी। बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद थी।

मृतका की मृत्यु लगभग डेढ़ दिन पूर्व हुई थी और मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाने से सांस अवरूद्ध होने के कारण दम घुटने से होना सम्भव है। शव विच्छेदन के समय मृतका के शरीर पर एक साड़ी, एक ब्लाउज, दो कलावा, एक कड़ा कांच का, एक अण्डरवियर, पेटिकोट, हेयर बैंड पाये थे, जिनको सर्व सील कर सम्बन्धित पुलिसकर्मियों के सुपुर्द कर दिया था। शव विच्छेदन के समय डा0 मु0 आसिफ भी उसके साथ रहे थे और उनके द्वारा भी शव विच्छेदन पर सहमति जताई गयी थी। यह शव विच्छेदन आख्या पत्रावली पर कागज संख्या 14क/2 से 14क/10 के रूप में संलग्न है, जिसकी संख्या 1006/2008 है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पहचान करता है, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।

अगर किसी व्यक्ति का गला रस्सी का फन्दा डालकर प्रेसर से दबाया जाये तो इस तरह की चोट आना सम्भव है। इस प्रकार इस साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट को साबित किया है।

15. पी0डब्लू0-5 संध्या वर्मा तहसीलदार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.06.2018 को वह नायब तहसीलदार के पद पर इटावा में कार्यरत थी। उस दिन उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष से सूचना मिलने पर वह मृतका प्रीती के शव का पंचायतनामा भरने के लिए जिला अस्पताल इटावा पहुँची थी। वहाँ पहले से ही उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह व उनके हमराही कर्मचारीगण व महिला कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। उपस्थिति लोगों में

ब

ससुराल गया और उपरोक्त ससुरालीजनों को समझाया-बुझाया कि अभी उसने शादी की है और पैसा की व्यवस्था हो जाने पर उन लोगों की माँगें पूरी करेंगे, परन्तु यह लोग नहीं माने। फिर भी यह लोग उसकी बेटी को मारपीट कर प्रताड़ित करते रहे और फिर बिटिया की ससुराल गया और उसके ससुराल वालों से कहा कि उसकी पुत्री को परेशान मत करो, लेकिन यह लोग नहीं माने। दिनांक 22.06.2018 को उसे मोबाइल से सूचना मिली कि उसकी पुत्री ज्योति को उसके उपरोक्त ससुरालीजनों ने गला दबाकर फॉसी पर लटका कर मार डाला है। तब वे लोग सूचना पाकर जिला सरकारी अस्पताल इटावा पहुँचे, वहाँ उसकी पुत्री अस्पताल में मरी हुई मिली थी। अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गयी थी और पुलिस मौके पर आयी थी और उसके सामने ही बिटिया के शव को सील किया था और पंचायतनामा भरा था और उसके हस्ताक्षर कराये थे। इस साक्षी पंचायतनामा प्रदर्शक-1 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की। उसकी पुत्री को जब उसके ससुराल वालों ने मार डाला, उसके एक हफ्ते पहले उसके घर से ससुराल गयी, तब उसने कहा था कि ससुरालीजनों को कार व पैसा दे दो, नहीं तो वे लोग उसे परेशान करेंगे। फिर भी उसने यह सोचकर कि बिटिया को ससुराल में रहना है, इसलिए उसे भेज दिया था। उसने यह सब बातें इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस को बताई थी। इस घटना की रिपोर्ट उसके पुत्र अजय ने लिखाई थी। उसकी पुत्री को उसके ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज में कार व दो लाख रूपयान मिल पाने के कारण उसकी गला दबाकर फॉसी पर लटका कर मार डाला।

12. पी0डब्लू0-2 अजय ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका प्रीती उर्फ ज्योति उसकी बड़ी बहन थी। उसने अपनी बहन की शादी 12.12.2016 को जितेन्द्र के साथ सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। शादी में बहन विदा होकर अपनी ससुराल कुदरकोट गयी थी और जब वह अपनी बहन को विदा कराने उसकी ससुराल गया था तो उसने बताया था कि उसके पति जितेन्द्र, ससुर साधौ सिंह, सास ऊषा देवी, देवर सतेन्द्र व ननद सुमन परेशान करते हैं। फिर वह अपनी बहन को विदा कराकर अपने घर ले आया, तब उसकी बहन ने उसे व उसके घर वालों को यह बात बताई थी कि उसके उपरोक्त ससुरालीजन मारपीटकर प्रताड़ित करते हैं और अतिरिक्त दहेज में दो लाख रूपये व एक चार पहिया वाहन कार की माँग करते हैं। इसके बाद वह व उसके पिताजी व रिश्तेदार बहन की ससुराल उपरोक्त ससुरालीजनों को समझाने गये तो यह लोग नहीं माने और दो लाख रूपये व कार की माँग करते रहे। कुछ समय बाद उसके बहन के एक पुत्री हुई थी और उसके ससुरालीजन ताने मारते रहे। घटना के करीब डेढ़ महीने पहले अपनी बहन प्रीती उर्फ ज्योति को विदा कराकर घर ले आये थे, क्योंकि उसकी बहन ने फोन करके बताया था कि उपरोक्त ससुरालीजन उसे तंग व परेशान करते हैं। उसकी बहन जब उसके यहाँ रह रही थी तो लगभग सवा महीने बाद पति जितेन्द्र सिंह बहन को लिवाने आया था तो उसकी बहन जाने को तैयार नहीं थी और कह रही थी कि इन्हें (पति) व इनके घर वालों को कार व दो लाख रूपये दे दो। तब उसे भेजो और जितेन्द्र ने भी कहा था

३

लाकर उसे फोन से बताया कि तुम्हारी बहन जिला अस्पताल में बीमारी के कारण खत्म हो गयी है, आ जाओ। जब वे लोग जिला अस्पताल इटावा पहुँचे तो उसने अपनी बहन के शरीर पर चोटो को देखा तो उसको यकीन हो गया कि उसके ससुरालीजनों ने मिलकर बहन को प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या कर दी है। उसकी बहन की लाश जिला अस्पताल इटावा में है।

3. वादी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाने पर दिनांक-23.06.2018 को समय 18.36 बजे मुकदमा अपराध संख्या 266/2018 अन्तर्गत धारा-498ए,304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह पति, साधौ सिंह ससुर, ऊषा देवी सास, सतेन्द्र देवर एवं सुमन नन्द के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक ने गवाहान के बयान लिये, नक्शानजरी तैयार किया। चिकित्सक ने मृतका प्रीति की शव विच्छेदन आख्या तैयार की तथा विवेचक ने विवचेना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं ऊषा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रेषित किया।

4. आरोप पत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया ने दिनांक 31.08.2018 को प्रसंज्ञान लिया। अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं ऊषा देवी को अभियोजन दस्तावेजों की नकलें धारा 207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रदान की गई तथा मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया।

5. न्यायालय में अभियुक्त अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह, साधौ सिंह एवं ऊषा देवी उपस्थित आये। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं विकल्प में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 27.02.2019 को आरोप विरचित किया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने केस को साबित करने के लिए पी०डब्लू०-1 प्रयाग नारायण, पी०डब्लू०-2 अजय, पी०डब्लू०-3 आनन्द किशोर, पी०डब्लू०-4 डा० सैफ खान पी०डब्लू०-5 संध्या शर्मा तहसीलदार, पी०डब्लू०-6 विवेचक भास्कर वर्मा तहसीलदार एवं पी०डब्लू०-7 कां० संगीता यादव को परीक्षित कराया है।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श क-1 पंचायतनामा, प्रदर्श क-2 तहरीर प्रदर्श क-3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श क-4 चालान शव विच्छेदन हेतु, प्रदर्श क-5 चिट्ठी सी०एम०ओ०, प्रदर्श क-6 चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक, प्रदर्श क-7 फोटो लाश, प्रदर्शक-8 नक्शानजरी, प्रदर्श क-9 आरोपपत्र, प्रदर्श क-10 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श क-11 नकल जी.डी. कायमी मुकदमा प्रस्तुत किये, जिनको अभियोजन पक्ष ने साबित कराया है। तदुपरान्त अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त किया।

8. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० लेखबद्ध किये। अभियुक्तगण ने पी० डब्लू०-1 के बयान के बारे कुछ नहीं कहने का कथन किया है। पी०डब्लू०-3 के बारे में

३